उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 189/2018/2085/71-1-2018-इ-133/2017
दिनांक : लखनऊ 29 जून, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-एम0ई0-2/2018/562, दिनांक 07.06.2018 द्वारा किए गए अनुरोध पर सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-3497/।।।-500(5)-46, दिनॉक 06.11.1946 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत डा0 नन्दिता शर्मा, प्रवक्ता, बाल रोग विभाग, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद का सरनेम परिवर्तित करते हुए डा0 नन्दिता शर्मा से डा0 नन्दिता मिश्रा किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

शमीम अहमद खान
विशेष सचिव।

संख्या-189/2018/2085(1)/71-1-2018-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आगामी गजट में इसे प्रकाशित कराते हुए उसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, इलाहाबाद।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद।
6- कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
7- डा0 नन्दिता शर्मा, प्रवक्ता, बाल रोग विभाग, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।